

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ (1149)/2019/ 43

दिनांक : 15/01/2019

आदेश

निम्नांकित कर्मचारियों के नामों के सम्मुख अंकित जन्म दिनांक के आधार पर 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर अंकित दिनांक से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क. स.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	से.नि.दिनांक
1.	श्री समयसिंह, लै.टे.	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मलसीसर, झुंझुनूं	03.01.1959	31.01.2019
2.	श्री रमेश चन्द, लै.टे.,	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नदबई, भरतपुर	01.07.1959	30.06.2019
3.	श्री मिश्री लाल, लै.टे.,	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नदबई, भरतपुर	21.07.1959	31.07.2019
4.	श्री नवल सिंह, लै.टे.	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कामां, भरतपुर	09.02.1959	28.02.2019
5.	श्री उदय सिंह यादव, वरि0 लै.टे.,	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरसौली (अलवर)	02.07.1959	31.07.2019
6.	श्री ईश्वर चन्द, वरि0लै.टे.	अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर	29.07.1959	31.07.2019
7.	श्री बने सिंह धाकड़, वरि.लै.टे.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टोडाभीम (करौली)	30.06.1959	30.06.2019
8.	श्री अर्जुन सिंह सैनी, लै.टे.,	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भुसावर, भरतपुर	08.07.1959	31.07.2019
9.	श्री करन सिंह सैनी, लै.टे.	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भुसावर, भरतपुर	09.09.1959	30.09.2019
10.	श्री राधेश्याम, लै.टे.	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किशनगढबास, अलवर	17.07.1959	31.07.2019

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर


क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ (1149)/2019/43

दिनांक : 15/01/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज0 जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन।
3. संबंधित अधीक्षक।
4. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
5. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
6. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. आदेश/डीपीसी सैल/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारीयो के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर